(13)

| जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय :– न्यू पावर हाउस, जोधपुर–342003|

क्र.–जोविविनिलि/ मु.ले.अ.(बजट एवं राजस्व)/ले.(राजस्व)/ प्रे. 2413 दिनांक 10-6-14

आदेश 82

विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन (TCOS) 2004 के उपाबंध 30 (2) के प्रावधानों के अनुसार बंद और त्रुटिपूर्ण मीटर के संबंध में यदि उपभोक्ता के मीटर को त्रुटि/बंद का पता लगने के 2 माह के अंदर प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है तो विद्युत कर व अन्य करों को छोड़ कर उपाबंध–27 के अन्तर्गत बनाये गये कुल विपत्र पर 5 प्रतिशत की छूट मासिक/ पाक्षिक विपत्रण की दशा में तीसरे मासिक विपत्र से तथा द्विमासिक विपत्रण की दशा में दूसरे मासिक विपत्र से ऐसा पता लगने की तिथि से प्रतिस्थापन तक अनुमत की जाऐगी। इस संबंध में इस छूट को देने के लिए निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है:–

1. सर्वप्रथम जैसे ही बंद/त्रुटिपूर्ण मीटर की जानकारी मिलती है तो यथा संभव उपखण्ड द्वारा उपभोक्ता के परिसर में **HHT** मशीन के द्वारा उपभोक्ता मीटर की वास्तविक रीडिंग लेकर विद्युत उपभोग की गणना की जाकर उसके आधार पर विद्युत विपत्र जारी किया जायेगा अन्यथा मीटर को उतार कर उपखण्ड कार्यालय में जमा होने पर **HHT** मशीन से जांच कर वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल जारी किया जायेगा। दोनों परिस्थितियों में यदि **HHT** मशीन के द्वारा मीटर द्वारा दर्ज उपभोग प्रदर्शित नहीं होता है तो उस दिशा में (**TCOS**) 2004 के उपाबंध 30 (2) के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता को 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। इस छूट की अवधि त्रुटि का पता लगने की तिथि से दो माह की अवधि पश्चात् (बंद एवं त्रुटि पूर्ण मीटर को उक्त अवधि में नहीं बदलने की स्थिति में) की तिथि से मीटर प्रतिस्थापन तिथि तक की होगी।
2. इस संबंध में सहायक अभियंता द्वारा आवश्यक समायोजन निर्धारित प्रपत्र (**CB-12**) में भर कर ट्रांजेक्शन कोड 48 द्वारा बिलिंग एजेंसी को प्रेषित किया जाएगा और बिलिंग एजेंसी तदनुसार छूट की राशि का समायोजन उपभोक्ता के बिलों में करेंगी।
3. छूट के लिए निर्धारित प्रपत्र में दर्शायी राशि की गणना उपर्युक्तानुसार की जायेगी और सही गणना की समस्त जिम्मेदारी सहायक राजस्व अधिकारी तथा सहायक अभियंता की सामूहिक रूप से होगी।
4. कम्प्यूटर बिलिंग ऐजेंसी, सहायक अभियंता कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र (**CB-12**) के आधार पर संबंधित उपभोक्ता के बिलों में देय छूट (रिबेट) को समायोजित करेगी एवं

Scanned with CamScanner

तदनुसार उपभोक्ता के बिल, लेजर एवं MIS में प्रदर्शित करेगी तथा इसका पृथक् से आउटपुट(संलग्न) तैयार कर संबंधित सहायक अभियंता एवं संबंधित लेखाधिकारी को प्रेषित करेगी।

5. सहायक अभियंता अपने स्तर पर सुनिश्चित करें कि यथासंभव त्रुटिपूर्ण/बंद मीटरों को कम से कम समयावधि में प्रतिस्थापित कर दिया जाये जिससे निगम को छूट देने के कारण हुई वित्तीय हानि से बचा जा सके।

मुख्य लेखाधिकारी (बजट एवं राजस्व)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर 15/6/2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियंता (मुख्यालय/जोधपुर संभाग/बीकानेर संभाग/बाड़मेर संभाग), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
2. मुख्य लेखाधिकारी ( ), जोधपुर डिस्कॉम, ...
3. अधीक्षण अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम, ...
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, ( ) जोधपुर डिस्कॉम, ...
6. मैसर्स के.एण्ड डी. इंजीनियर्स/डाटा इनफोसिस/एच.सी.एल., जोधपुर ।

मुख्य लेखाधिकारी (बजट एवं राजस्व)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर 16/6/2014

Scanned with CamScanner